जी.पी.	फंड ख	ाता संख्या.			
--------	-------	-------------	--	--	--

## अभिदाता का नामांकन

## जब अभिदाता का परिवार हो और वह एक से अधिक सदस्य का नामांकन करना चाहता हो

मैं एतदद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करता हूँ, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जैसा की सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएँ) नियम 1960 के नियम 2 उल्लेख किया गया है, जो राशि मेरे खाते में जमा हो सकती है, मेरी मृत्यु होने की स्थिति में उस राशि के भुगतान योग्य होने या देय होने के बाद भुगतान नहीं किया गया है और निर्देश देते हैं कि उक्त राशि उक्त व्यक्तियों के बीच उनके नाम के सामने दिखाए गए तरीके से वितरित की जाएगी:

नाम पता और नामांकित का व्यक्ति	अभिदाता के साथ संबंध	आयु	ऐसी आकस्मिकताएँ जिनके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा	उन व्यक्तियों या व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिनके लिए नामिती का अधिकार अभिदाता की पूर्व मृत्यु में पारित हो जाएगा
				X1 2/3 1 11/1/ (1 31/1)

दिनांक इस	दिन	200 को
हस्ताक्षर करने के लिए दो गवाह		
1		
2		

ग्राहक के नाम और पदनाम के साथ हस्ताक्षर

GP	Fund	Account 1	Number:	
$\mathbf{O}$	1 unu	1 iccount.	i iumoci.	

## **Subscriber's Nomination**

## WHEN THE SUBSCRIBER HAS A FAMILY AND WISHES TO NOMINATE MORE THAN ONE MEMBER THEREOF

I, hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family as mentioned in rule 2 of the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960 to receive the amount that may stand to my credit in the fund, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown against their names:

Name and address of nominees	_	Age	Contingencies on happening of which the nomination shall become invalid	relationship of the persons or

Dated this	day of	200 at	
Γwo witnesses to signature			
<u> </u>			
1.			
2.			
1			

Signature with Name & Designation of the subscriber